अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय–III

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.1 विद्युत का अनधिकृत प्रयोग

टैरिफ प्रावधानों के अनुपालन में विफलता और कम्पनी में विद्यमान दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण उपभोक्ताओं का निचले श्रेणी में न्यून विपत्रीकरण हुआ। अग्रेतर, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा समय समय पर[1] निर्गत टैरिफ आदेशों के अनुसार, घरेलु सेवाएँ (डी0एस0)–III आवासीय कॉलोनियों एवं बहु मंजिला आवासीय परिसर, जो एक बिन्दू से बड़ी मात्रा में भार लेती हैं, पर लागू होती हैं जहाँ प्रति फ्लैट/घर न्यूनतम भार 2 किलो वाट (के0डब्ल्यू0) और अधिकतम भार 60 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से 70 के0डब्ल्यू0 पुनरीक्षित) हो। 70 के0डब्ल्यू0 तक का भार निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) की टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत आता है वहीं 70 के0डब्ल्यू0 से अधिक भार उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I की टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अग्रेतर, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1)(क), बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (संहिता), 2010 में यथा संशोधित, के उपवाक्य 11.1(ब)(i) एवं 11.2.3(ब)(i) के साथ पठित, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्रानुसार, यू0= एल0×एफ0×डी0×एच0[2], की जाएगी। अग्रेतर, संहिता का उपवाक्य 9.15 यह भी प्रावधान करती है कि मीटर पठन वाले के द्वारा मासिक आधार पर खराब मीटरों के संबंध में कम्पनी के अधिकारियों को सूचित किया जाएगा ताकि खराब मीटरों को जल्द बदला जा सके।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जून 2015 से नवम्बर 2015) कि :

- विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), डेहरी ऑन–सोन में, बिहार मिलिट्री पुलिस (बी0एम0पी0), डेहरी ऑन–सोन के परिसर में 200 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0वी0ए0) के दो पूर्णतः समर्पित ट्रान्सफार्मर लगाये गये थे (2011 के पूर्व), जिसके विरुद्ध कमाण्डेंट, बी0एम0पी0 के नाम से परिसर के लिए मात्र छः विद्युत

---

[1] टैरिफ आदेश 2010–11(दिसम्बर 2010 से प्रभावी), 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2014–15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2015–16 (अप्रैल 2015 से प्रभावी)।

[2] यू= एल0×एफ0×डी0×एच0, जहाँ यू = ऊर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित, एल = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में, जो निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी, एफ = प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर, डी = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, यदि दिन निर्धारित नहीं किये जा सके तो यह अवधि 12 माह अर्थात् 365 दिनों तक सीमित होगी एवं एच = प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

सम्बन्ध (एक डी0एस0–।। एवं पाँच एन0डी0एस0–।।), प्रति सम्बद्ध 1 के0डब्ल्यू0 निर्गत किये गये थे। बी0एम0पी0 परिसर में कुल 115 आवासीय क्वार्टर अनधिकृत रूप से वर्ष 2011 से बिना वैध विद्युत सम्बद्ध के विद्युत आपूर्ति का उपभोग कर रहे थे। जैसा कि इन 115 आवासीय क्वार्टर का सम्बद्ध भार की गणना 256 के0वी0ए0 (अर्थात् 2 के0डब्ल्यू0×115×1.11) थी, कम्पनी के लिए यह बाध्यकारी था कि एच0टी0एस0–। टैरिफ श्रेणी के अनुसार उनका विपत्रीकरण किया जाता। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही जिसके कारण कम्पनी को जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि में ₹ 1.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- ई0एस0डी0, भभुआ में, मंडलीय विद्युत अभियंता, कुद्रा (उपभोक्ता सं0–बी0एच0 28919) को 50 आवासीय क्वाटरों के संबंध के लिए जनवरी 2011 से फरवरी 2014 की अवधि तक 6 के0डब्ल्यू0 तक तथा उसके उपरान्त 51 के0डब्ल्यू0 के भार पर विपत्रीकरण किया गया। जैसा कि इन आवासीय क्वार्टरों के न्यूनतम भार की गणना, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 112 के0वी0ए0 (अर्थात् 2 के0डब्ल्यू0×50×1.11) की जानी थी इस कारण उपभोक्ता का एच0टी0एस0–I टैरिफ श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफलता के कारण कम्पनी को जनवरी 2011 से जून 2015 की अवधि में ₹ 54.92 लाख के राजस्व की हानि हुई।

- अग्रेतर, ई0एस0डी0, भभुआ में, मंडलीय विद्युत अभियंता, मोहनिया (उपभोक्ता सं0–बी0एच0 39164) को 67 आवासीय क्वार्टरों एवं 20 अश्व शक्ति (एच0पी0) के पम्प सेट के लिए 75 के0डब्ल्यू0 के भार पर एन0डी0एस0–II श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रीकृत किया गया। तथापि, कथित उपभोक्ता के न्यूनतम कुल भार की गणना, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 166 के0वी0ए0[3] थी। इस तरह से, कथित उपभोक्ता का एच0टी0एस0–I श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही जिसके कारण जनवरी 2011 से जून 2015 की अवधि में ₹ 20.57 लाख के राजस्व की हानि हुई।

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि उपभोक्ताओं की निचले श्रेणी में न्यून विपत्रीकरण का पता, नित्य निरीक्षणों एवं जाँच में नहीं चल पाया। अग्रेतर, इसके कारण कम्पनी को ₹ 2.73 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

कम्पनी ने कहा (अगस्त 2016) कि बी0एम0पी0, डेहरी ऑन–सोन के मामले में कथित उपभोक्ता पर ₹ 1.84 करोड़ के दाण्डिक शुल्क के साथ ₹ 1.91 करोड़ भारित किया गया है और पूरे बी0एम0पी0 परिसर को 122 के0वी0ए0 और 176 के0वी0ए0 के दो एच0टी0एस0–I सम्बद्ध में बदल दिया गया है।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संहिता के नियम 10.18 के आलोक में वसूली संभव नहीं है, जो अन्य बातों के अतिरिक्त, यह बताता है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई राशि वसूली नहीं की जा सकती, जो विगत दो वर्षों से लगाातार लाइसेंसी द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत के संबंध में बकाया शुल्क के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो; जो इस मामले में नहीं किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

---

[3] वास्तविक भार = (67 क्वार्टर×2 के0डब्ल्यू0×1.11) + 20 एच0पी0 के पम्प स्टेशन के लिए 17 के0वी0ए0।

3.2 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

विद्युत अधिनियम, 2003 और बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण न सिर्फ दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से न्यून निर्धारण किया गया बल्कि उपभोक्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 126, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि यदि किसी जगह या भवन के निरीक्षण में निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया गया है, तो उस पूरे अवधि के लिए दाण्डिक शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जिस अवधि के लिए विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया गया है। यदि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की अवधि निर्धारित नहीं किया जा सके तो यह अवधि निरीक्षण तिथि के ठीक पूर्व के बारह माह तक सीमित होगी। अग्रेतर, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (संहिता), 2010 में यथा संशोधित, के उपवाक्य 11.1(ब)(i) एवं 11.2.3(ब)(i), अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्रानुसार, यू= एल0×एफ0×डी0×एच0[4], की जाएगी। ईकाइयों के प्रयोग का निर्धारण संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा एवं सेवा की सम्बद्ध श्रेणी के लिए लागू टैरिफ दर के दुगुने दर से शुल्क भारित किया जाएगा। अग्रेतर यदि उपभोक्ता का सम्बद्ध भार संविदा भार से अधिक पाया जाता है तो स्थायी शुल्क या माँग शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, भी लागू टैरिफ दर के दुगुने दर से भारित किया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), नूतन राजधानी, जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई है, के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (मई 2015) कि कम्पनी द्वारा एक गैर–घरेलू उपभोक्ता (एन0डी0एस0–II[5], उपभोक्ता सं0–010201115852) के परिसर का निरीक्षण किया गया (नवम्बर 2013) जहाँ स्वीकृत भार 17 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध कथित उपभोक्ता का सम्बद्ध भार 107 के0डब्ल्यू0 पाया गया। कम्पनी ने, अधिनियम और संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए, ₹ 51.60 लाख के प्रभार्य दाण्डिक शुल्क के विरुद्ध न्यूनतम मासिक उपभोग (एम0एम0सी0) के आधार पर अतिरिक्त भार के लिए दाण्डिक शुल्क की गणना सिर्फ ₹ 4.84 लाख की। इसके परिणामस्वरूप दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से कम निर्धारण हुआ।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि दाण्डिक शुल्क की गणना में एल0एफ0डी0एच0 सूत्र सिर्फ उन मामलों में लागू है जहाँ मीटर के वास्तविक उपभोग इकाई से पंजीकृत उचित/वास्तविक ईकाइयों को छुपाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई हो, तब अधिनियम की धारा 126{6ब(iii)} के तहत संज्ञान में लिया जाता है और यह खराब/जले मीटर की दशा में लागू नहीं होता है। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संहिता, 2010 में यथा संशोधित, की अनुसूची 7 का उपवाक्य अ(5), अन्य बातों के अतिरिक्त, यह बताता है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई उर्जा का प्रयोग ऐसे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिस पर उच्च

---

[4] यू= एल0×एफ0×डी0×एच0 जहाँ यू = ऊर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित,
एल0 = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जो निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी,
एफ0 = प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर,
डी0 = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, एवं
एच0 = प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

[5] (एन0डी0एस0)–।। टैरिफ श्रेणी शहरी एवं अन्य निर्धारित क्षेत्रों में जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 तक के स्वीकृत भार पर लागू है।

टैरिफ दर लागू होती है और मीटर भी संतोषजनक रूप से कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है, तब विद्युत के अनधिकृत प्रयोग के प्रावधान लागू होंगे और तद्नुसार एल0एफ0डी0एच0 सूत्र के अनुसार शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

इस प्रकार, कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 और बिहार विद्युत आपूर्त्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही और न सिर्फ दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से न्यून निर्धारण किया गया बल्कि उपभोक्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.3 उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

स्ट्रीट लाईट सर्विस उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण एवं तद्नुसार न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण ₹ 4.07 करोड़ की हानि

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों[6] के अनुच्छेद 6, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधानित करता है कि स्ट्रीट लाईट सर्विस (एस0एस0), नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, समिति, पंचायत इत्यादि एवं ऐसे क्षेत्र, जो नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में सिग्नल प्रणाली सहित स्ट्रीट लाईट सेवा प्रणाली की विद्युत आपूर्ति पर लागू हैं, बशर्ते एक आपूर्ति बिन्दू से सम्बद्ध लैम्पों की संख्या पाँच से कम न हो। इसके अलावा, कथित टैरिफ आदेश स्ट्रीट लाईट के मीटरीकृत एवं अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को क्रमशः एस0एस0–I एवं एस0एस0–II में वर्गीकृत करती है और तद्नुसार विपत्रीकरण का प्रावधान करती है। एस0एस0–I उपभोक्ताओं के मामले में 250 इकाई/के0डब्ल्यू0 या उसके भाग के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क पर 700 पैसे/इकाई और एस0एस0–II उपभोक्ताओं के मामले में ₹ 440 प्रति 100 इकाई/के0डब्ल्यू0 या उसके भाग के लिए दर निर्धारित है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के कटिहार प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2015 से अगस्त 2015) से उद्घाटित हुआ कि एक अमीटरीकृत उपभोक्ता, अध्यक्ष, नगरपालिका, कटिहार, जिसका सम्बद्ध भार 1 के0डब्लू0 था, का मीटरीकृत श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रीकरण किया जा रहा था। यद्यपि कम्पनी द्वारा किये गये भार के सत्यापन (दिसम्बर 2013) में कथित उपभोक्ता का अमीटरीकृत वास्तविक भार 859 के0डब्ल्यू0 पाया गया। तद्नुसार, अमीटरीकृत श्रेणी के अनुसार ₹ 8.06 करोड़ का एक दाण्डिक विपत्र उपभोक्ता को निर्गत किया गया था (दिसम्बर 2013)। कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 तक मीटरीकृत उपभोक्ता और उसके बाद अमीटरीकृत उपभोक्ता के अनुसार किया गया था। इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के एस0एस0–I श्रेणी के तहत न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि में कम्पनी को ₹ 4.07 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2016) कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण जनवरी 2016 में कर लिया गया है। तथापि, तथ्य यही है कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि कथित उपभोक्ता से अभी भी वसूलनीय है।

[6] बी0ई0आर0सी0 टैरिफ आदेश 2013–14, 2014–15 और 2015–16.

इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 4.07 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.4 उच्च विभव सेवा उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0) उपभोक्ता के गलत रूप से डी0एस0–II/ डी0एस0–III श्रेणी में वर्गीकरण एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा समय समय पर निर्गत टैरिफ आदेश[7], अन्य बातों के अलावा, यह निर्दिष्ट करती हैं कि निम्न विभव आपूर्ति (एल0टी0एस0) टैरिफ,घरेलू सेवाओं (डी0एस0) के उपभोक्ताओं हेतु हैं जिसमें डी0एस0–II एवं डी0एस0–III श्रेणियाँ हैं, जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 किलोवाट (के0डब्ल्यू0)/67 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0वी0ए0)[8] है (अप्रैल 2012 से पुनरीक्षित 70 के0डब्ल्यू0/78 के0वी0ए0 है)। डी0एस0–II टैरिफ श्रेणी शहरी क्षेत्र के आवासीय भवनों जिनका सम्बद्ध भार 7 के0डब्ल्यू0 तक है, पर लागू होता है। वहीं डी0एस0–III श्रेणी आवासीय कॉलोनियों एवं बहुमंजिला आवासीय परिसरों, जो एक बिन्दू से बड़ी मात्रा में भार लेती हैं, पर लागू होती है जहाँ प्रति फ्लैट/घर न्यूनतम भार 2 के0डब्ल्यू0 और अधिकतम भार[9] 60 किवा/67 के0वी0ए0 से अधिक न हो। 75 (के0वी0ए0) या उससे अधिक भार पर एच0टी0एस0–I श्रेणी का टैरिफ लागू होता है। डी0एस0–II/ डी0एस0–III श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मामले में, यदि कुल अधिकतम स्वीकृत सीमा से सम्बद्ध भार बढ़ता है, तो उपभोक्ता की श्रेणी एच0टी0एस0–I श्रेणी में परिणत की जानी चाहिए, ताकि उचित उच्च श्रेणी टैरिफ में विपत्रीकरण हो सके।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), दरभंगा (शहरी) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जनवरी 2016) कि:

- एक उपभोक्ता, मेसर्स वरीय प्रमंडलीय विद्युत अभियंता, रेलवे, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा (उपभोक्ता सं0 सी0आर0टी0–316), जिसके अन्तर्गत 50 आवासीय क्वार्टर थे, का विपत्रीकरण 19 के0डब्ल्यू0 के सम्बद्ध भार पर डी0एस0–III श्रेणी में अगस्त 2009 से फरवरी 2014 तक और तत्पश्चात मार्च 2014 से डी0एस0–II श्रेणी में किया गया। अग्रेतर, जून 2015 में, भौतिक सत्यापन के पश्चात, कथित उपभोक्ता का भार डी0एस0–II श्रेणी के अन्तर्गत, सभी आवासीय क्वार्टर के सम्मिलित भार के आधार पर 25 के0डब्ल्यू0 किया गया।
- जैसा कि उपर वर्णित उपभोक्ता का सम्बद्ध भार 112 के0वी0ए0 (50 क्वार्टर x 2 के0डब्ल्यू0 x 1.11), गणनित किया गया था, कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण एच0टी0एस0–I श्रेणी में किया जाना चाहिए था। यद्यपि, उपर वर्णित टैरिफ आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण डी0एस0–II/ डी0एस0–III श्रेणी के अन्तर्गत किया गया, जिसके कारण कम्पनी

[7] टैरिफ आदेश 2008–09 (अगस्त 2008 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2014–15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2015–16 (अप्रैल 2015 से प्रभावी)।

[8] 1 के0डब्ल्यू0= 1.11 के0वी0ए0।

[9] अप्रेल 2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित 70के0डब्ल्यू0/78 के0वी0ए0।

को अगस्त 2009 से दिसम्बर 2015 की अवधि में ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि उपर वर्णित उपभोक्ता का मीटर जुलाई 2013 से अक्टूबर 2015 की अवधि में, विपत्रीकरण अभिलेखों के अनुसार, खराब था और कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण औसत ईकाइयों/न्यूनतम मासिक उपभोग (एम0एम0सी0) ईकाइयों के आधार पर किया गया था। वितरण लाइसेंसी का कार्य निष्पादन की मानके, 2006 के नियम 22 में वर्णित सात दिनों की अधिकतम समय सीमा में कम्पनी कथित उपभोक्ता का खराब मीटर बदलने में विफल रहा और इसके बदलने में 29 महीने का समय लिया गया। यह इस बात का द्योतक है कि न सिर्फ कम्पनी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी, बल्कि कम्पनी में दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी विद्यमान थी।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये राजस्व हानि की राशि में उपभोक्ता के अप्रैल 2016 के विपत्र में भारित कर दिया गया है। अग्रेतर, उपभोक्ता से अनुरोध किया गया है कि वह डी0एस0–II से एच0टी0एस0–I श्रेणी में बदलकर अनुबन्ध करने के लिए आवेदन करें। सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती जो विगत दो वर्षों से लगाातार विद्युत आपूर्ति के संबंध में, बकाया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो, के आलोक में वसूली संभव नहीं है। तथ्य यही है कि ₹ 53.44 लाख की राशि उपभोक्ता से अभी भी वसूलनीय है (अगस्त 2016)।

इस प्रकार, एच0टी0एस0–I श्रेणी के उपभोक्ता का गलत रूप से डी0एस0–II/ डी0एस0–III श्रेणी में वर्गीकरण एवं न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि हुई।

3.5 लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशें[10], अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान करती हैं कि गैर–घरेलू सेवाएँ श्रेणी (एन0डी0एस0) हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0) टैरिफ, गैर घरेलू उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 70 किलोवाट (के0डब्ल्यू0) (मार्च 2012 तक 60 किलोवाट) है, को विद्युत आपूर्ति हेतू लागू है। इसके अलावा, उपर वर्णित टैरिफ आदेशों की कंडिका 5 भी यह प्रावधानित करती है कि पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0, सीवेज उपचार प्लांट एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन, जिनका सम्बद्ध भार 90 एच0पी0 तक है, पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 टैरिफ दरों के अनुसार उनका विपत्रीकरण किया जाएगा।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2015) में हमने पाया कि :

[10] टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी),टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2014–15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी)।

- विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), हाजीपुर के सात लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) के उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण उपयुक्त पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 टैरिफ श्रेणी की जगह एन0डी0एस0–II/ सिंचाई एवं कृषि सेवाओं (आई0ए0एस0)–II[11] टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 से फरवरी 2016 की अवधि में किया जा रहा था।
- इस प्रकार, उपभोक्ता के गलत श्रेणी में वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण, उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2011 से फरवरी 2016 की अवधि में ₹ 1.53 करोड़ के विपत्र की जगह ₹ 58 लाख का हीं विपत्र भारित किया गया। इसके कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये सातों उपभोक्ताओं की श्रेणी एन0डी0एस0–II/ आई0ए0एस0–II श्रेणी से बदलकर पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 श्रेणी कर दी गई है और उपभोक्ताओं के जुलाई 2016 के विपत्र में ₹ 32.34 लाख भारित कर दिया गया है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने जवाब की संवीक्षा में पाया कि इन उपभोक्ताओं के जनवरी 2016 और जुलाई 2016 के विपत्र में ₹ 98.84 लाख एक साथ भारित कर दिया गया है।

सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योकिं बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती जो विगत दो वर्षों से लगाातार विद्युत आपूर्ति के संबंध में बकाया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो, के आलोक में वसूली संभव नहीं है। तथ्य यही है कि ₹ 95 लाख की राशि उपर वर्णित उपभोक्ताओं से अभी भी वसूलनीय है (नवम्बर 2016)।

इस प्रकार, लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) श्रेणी के उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

3.6 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

कम्पनी में त्रुटिपूर्ण क्रय योजना और वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करने में विफलता की परिणति ₹ 31.10 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में रही। अग्रेतर, आपूर्तिकर्ताओं को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्राप्त हुआ।

बिहार स्टेट (पावर) होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) द्वारा निर्गत निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तें, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट करती हैं कि किसी निविदाकार को विस्तारित आदेश के मामले में, निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 प्रतिशत की आपूर्ति, पूर्व के नियम एवं शर्तो पर करनी होगी, यदि कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार के स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि :

- बी0एस0पी0एच0सी0एल0 ने 63 किलो वोल्ट एम्पियर (के0वी0ए0) के 1786 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 770 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के

[11] सिंचाई एवं कृषि सेवाएँ (आई0ए0एस0)–II टैरिफ 100 एच0पी0 तक के राज्य ट्यूबवेल/राज्य लिफ्ट सिंचाई पम्प्स/राज्य सिंचाई पम्पों पर लागू होता है।

लिए दो एन0आई0टी0[12] (पुराने एन0आई0टी0) आमंत्रित किये (दिसम्बर 2013)। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध, कम्पनी ने क्रमशः ₹ 82,312.20 और ₹ 1,08,764.10 के आधार मूल्य पर 63 के0वी0ए0 के 518 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 120 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं[13] को दो क्रय आदेश[14] दिये।

- कम्पनी ने पुनः 63 कि0वो0अ0 के 3593 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 कि0वो0अ0 के 1794 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो नये एन0आई0टी0[15] (नये एन0आई0टी0) आमंत्रित किये (अक्टूबर 2014)। कम्पनी के बाद के कथित नये एन0आई0टी0 के अन्तर्गत दिये गये क्रयादेश, पुराने एन0आई0टी0 के दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश के मान्य समय सीमा के अन्दर थे। नये एन0आई0टी0 के विरुद्ध, कम्पनी ने क्रमशः ₹ 98,555.05 और ₹ 1,25,218.95 के आधार मूल्य पर 63 के0वी0ए0 के 3593 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 1794 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं[16] को तीन क्रयादेश[17] दिसम्बर 2014 और मार्च 2015 में दिये।

इसके अलावा हमने पाया कि :

- कम्पनी दुबारा क्रय आदेश देने के संबंध में दिसम्बर 2013 में निर्गत पूर्व में वर्णित एन0आई0टी0 की सामान्य शर्तों एवं नियमों का पालन करने में विफल रही।
- कम्पनी अपने खरीद संबंधी आवश्यकता का प्रभावपूर्ण योजना बनाने में विफल रही जैसा कि वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के क्रय की मात्रा में एक वर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि से पता चलता है।
- कम्पनी वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करते हुए पुराने एन0आई0टी0 के लिए दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश संबंधी उपवाक्य का प्रयोग उपर वर्णित सामग्री की 30 प्रतिशत मात्रा के लिए प्रयोग करने में विफल रही और इसके बदले नये एन0आई0टी0 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 98,555.05 और ₹ 1,25,218.95 के प्रति ट्रान्सफॉर्मर उच्च आधार मूल्य पर उपर वर्णित वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के क्रय हेतु तीन क्रयादेश (दो आपूर्तिकर्ताओं को दिसम्बर 2014 और एक आपूर्तिकर्त्ता को मार्च 2015 में) निर्गत किये।
- कम्पनी द्वारा वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की मात्रा के 30 प्रतिशत का क्रय दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश देकर करने में विफलता के कारण ₹ 31.10 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि पुराने एन0आई0टी0 के अन्तर्गत 63 के0वी0ए0 और 100 के0वी0ए0 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के दोनों आपूर्तिकर्ताओं का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि वे निर्धारित समय अवधि में वितरण ट्रांन्सफॉर्मरों की आपूर्ति करने में विफल रहे। अग्रेतर, कम्पनी के अधिकारों के प्रत्यायोजन (डी0ओ0पी0) नियमों के अनुसार दुबारा क्रय आदेश का विस्तार सिर्फ उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं के लिए की जा सकती है जिनका कार्य निष्पादन संतोषजनक हो। इस कारण पुराने एन0आई0टी0 के आपूर्तिकर्ताओं को दुबारा क्रय आदेश नहीं दिये गये।

---

[12] एन0आई0टी0 सं0–473/पी0आर0/ बी0एस0पी0एच0सी0एल0/2013 और 474/पी0आर0/ बीएसपीएचसीएल/2013.

[13] मेसर्स एल0डी0 पावर ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मॉडर्न ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड।

[14] क्रय आदेश सं0 30 दिनांक 12/02/2014 और क्रय आदेश सं0 39 दिनांक 19/02/2014।

[15] एन0आई0टी0 सं0–206/एन0बी0पी0डी0सी0एल0/2014 और 207/एन0बी0पी0डी0सी0एल0/ 2014।

[16] मेसर्स राजस्थान ट्रान्सफॉर्मर एवं स्वीचगिअर और मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड।

[17] क्रय आदेश सं0 124 दिनांक 01/12/2014, क्रय आदेश सं0122 दिनांक 01/12/2014 और क्रय आदेश सं0 31 दिनांक 25/03/2015.

सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह कम्पनी की नीति के लिए नयी नहीं थी, लेखापरीक्षा एक पुराने मामले में इस बात का साक्षी है कि कम्पनी द्वारा 63 के0वी0ए0 के वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के लिए एक ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को दुबारा क्रय आदेश दिया गया जिसका 100 के0वी0ए0 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के मामले में आपूर्ति निष्पादन असंतोषजनक माना गया था। इस प्रकार, सरकार की दुबारा क्रय आदेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करने की मंशा, आपूर्तिकर्ताओं का कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने के कारण नहीं करना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिस कारण कम्पनी दुबारा क्रय आदेश संबंधी उपवाक्य का प्रयोग करते हुए सस्ते दर पर क्रय का लाभ पाने मे विफल रही है।

इस प्रकार, कम्पनी में त्रुटिपूर्ण क्रय योजना और वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करने में विफलता की परिणति ₹ 31.10 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में रही। अग्रेतर, आपूर्तिकर्ताओं को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्राप्त हुआ।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए एकल फेज मीटरों की खरीद के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के उपवाक्य 14 का प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तों का उपवाक्य 39, दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश के मामले में, यह निर्दिष्ट करती थी कि यदि किसी निविदाकार को एक आदेश दिया जाता है और यदि कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार के स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है तो निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 फीसदी की आपूर्ति उन्हीं नियम एवं शर्तो पर करनी होगी।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ने एन0आई0टी0 445/पी0आर0/बी0एस0पी0एच0सी0एल0/2013 के विरुद्ध चार निजी आपूर्तिकर्ताओं को अक्टूबर 2014 में 1,37,550 एकल फेज मीटरों (एन0बी0पी0डी0सी0एल0–75000 मीटर, एस0बी0पी0डी0सी0एल0–62550 मीटर) के लिए एक आधार लागत ₹ 913.68 प्रति मीटर की दर से सात दुबारा क्रयादेश दिये। कथित दुबारा क्रयादेश का उपवाक्य 3 प्रावधान करता था कि मीटरों की पूरी मात्रा की आपूर्ति एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में एक माह के अर्थात् 15 नवम्बर 2014 तक और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में दो माह के अर्थात् 30 नवम्बर 2014 तक कर दिया जाएगा। कथित दुबारा क्रयादेश का उपवाक्य 4 यह भी बताता था कि विलम्ब की दशा में दण्ड लगाया जाएगा जो आपूर्ति नहीं किए गये कार्य के 0.5 प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए होगा और जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा। अग्रेतर, एन0आई0टी0 का उपवाक्य 14 क्रेता को यह अधिकार देता था कि विलम्बित आपूर्ति की दशा में या निम्न गुणवत्ता वाले सामग्री की आपूर्ति की दशा में, आदेश/ संविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप में निरस्त किया जा सकता था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में यह पाया गया कि :

- एन0बी0पी0डी0सी0एल0 को 75000 मीटरों की आपूर्ति के निर्धारित समय 15 नवम्बर 2014 के विरुद्ध, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 15 नवम्बर 2014 तक कोई मीटर आपूर्ति नहीं की गई। वहीं एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को 62550 मीटरों की आपूर्ति के निर्धारित समय 30 नवम्बर 2014 के विरुद्ध, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 30 नवम्बर 2014 तक कोई मीटर आपूर्ति नहीं की गई। दोनों कम्पनियों ने आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से मीटरों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण कुल ₹ 25.10 लाख की कटौती की।

- नवम्बर 2014 में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने दोनों कम्पनियों के लिए 13,60,000 एकल फेज मीटरों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जिसके लिए मूल्य की बोली 11 दिसम्बर 2014 को खोली गई। न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रति मीटर मूल्य ₹ 849 उद्धृत किया गया था, जो 137550 मीटरों के प्रक्रियाधीन खरीद दर ₹ 913.68 से ₹ 64.68 कम था। निविदा के मूल्य भाग खोले जाने की तिथि 11 दिसम्बर 2014 तक, पूर्व के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 137550 मीटरों के दुबारा क्रयादेश के विरुद्ध मात्र 11200 मीटरों की आपूर्ति की गई थी।

  एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को यह ज्ञात था कि नवम्बर 2014 की निविदा में उद्धृत मूल्य अक्टूबर 2014 के क्रयादेशों से कम थे एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मीटरों के लिए दुबारा क्रयादेशों के सामायिक निष्पादन में त्रुटि की गई थी, इस कारण यह कम्पनियों के लिए समयाचीन था कि वे अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए एन0आई0टी0 के उपवाक्य 14 का प्रयोग करते हुए दुबारा क्रयादेशों को निरस्त कर देते। अग्रेतर, कम्पनियाँ शेष अनापूर्तित मात्रा के लिए न्यून दर ₹ 849 प्रति एकल फेज मीटर पर क्रय का प्रयास कर सकती थीं। तथापि, दोनों कम्पनियाँ ऐसा करने में विफल रहीं और 137549 मीटरों की ऊंचे दरों पर आपूर्ति स्वीकार करते रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख[18] का अतिरिक्त व्यय किया गया जो परिहार्य था।

सरकार ने, तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए, जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि दुबारा क्रयादेशों को निरस्त करने की प्रक्रिया नहीं अपनायी गई क्योंकि मीटरों की बहुत अधिक माँग के साथ ही साथ सम्भावित राजस्व की हानि भी हो रही थी। अग्रेतर, सितम्बर/अक्टूबर 2014 में सामग्री में पड़े मीटरों के साथ ही साथ दुबारा क्रयादेश के माध्यम से खरीदे गये मीटरों को फरवरी 2015 में उपयोग में लाया गया था, जिस समय तक नये निविदा के माध्यम से मीटरों की आपूर्ति मुश्किल से शुरू हो पायी थी। सरकार के जवाब का सत्यापन नहीं किया जा सका था क्योंकि कम्पनी दुबारा क्रयादेश द्वारा खरीदे गये मीटरों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ही अर्जित राजस्व का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रही है। तथ्य यथावत है कि क्रय योजना त्रुटिपूर्ण थी एवं सामग्री पुनर्आदेश मात्रा का निर्धारण करने की कोई प्रणाली नहीं थी। अग्रेतर, कम्पनियाँ वित्तीय औचित्य का पालन करते हुए दुबारा क्रयादेशों को निरस्त करने और नई निविदा के न्यून दरों का लाभ उठाने के लिए नये सिरे से क्रयादेश देने में विफल रही थी। कम्पनियों द्वारा ऐसा किये जाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया, जो परिहार्य था।

[18] परिहार्य अतिरिक्त व्यय = ₹ 64.68 × 1,26,349 मीटर (अर्थात् आपूर्ति किये जाने वाले कुल मीटर (1,37,549) – 11 दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति किये गये मीटर (11200)] – दण्ड अधिरोपित (₹ 25.10 लाख) = ₹ 56.62 लाख

बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड

3.8 सलाहकार को अनियमित भुगतान एवं अनुचित लाभ

कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न सिर्फ सलाहकार को ₹ 27.15 लाख का अनियमित भुगतान हुआ बल्कि उस सीमा तक अनुचित लाभ भी दिया गया।

केनरा बैंक, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जो तत्कालिन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से अलग होकर बनी पाँच कम्पनियों में से एक है, का प्रधान बैंक है। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक पर्षद ने 25 फरवरी 2013 को आयोजित अपनी छठी बोर्ड बैठक में मेसर्स नेक्सजेन फाइनांशियल सोल्युसन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को बरौनी थर्मल पावर स्टेशन–2×500 मेगा वाट (एम0डब्ल्यू) विस्तारित परियोजना (बी0टी0पी0एस0–ई0पी0) के लिए पावर फाइनांस कॉरपोरेशन (पी0एफ0सी0), शहरी आवास विकास निगम लिमिटेड (हुडको) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (सी0बी0आई0) से सस्ती दर[19] पर ₹ 1248 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण का प्रबंध करने के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, सलाहकार को मार्च 2013 में एक कार्यादेश निर्गत किया गया। कथित कार्यादेश के उपवाक्य में, अन्य बातों के अलावा, प्रावधानित था कि सलाहकार निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 25 लाख जमा कराएगा, जो असंतोषजनक कार्य निष्पादन की स्थिति में जब्त/नकदीकृत कराया जाएगा। अग्रेतर, कार्यादेश निर्गत करने की तिथि के चार माह के अन्दर साख सुविधा प्राप्त करनी थी जिसके लिए प्राप्त साख के 0.14 प्रतिशत की दर से सलाहकार को उसके सेवाओं के बदले कमीशन के रूप में देय था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से पता चला कि केनरा बैंक द्वारा जून 2014 में 11.25 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ₹ 300 करोड़ का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था जिसके लिए सलाहकार को ₹ 27.15 लाख का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पता चला किः

- सलाहकार चार माह की अधिसूचित समय सीमा में, जुलाई 2013 तक, किसी भी वित्तीय संस्थान से अनिवार्य साख सुविधा प्रदान करवाने में विफल रहा। कथित सलाहकार के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के बावजूद कार्यादेश के उपवाक्य 4 के अनुसार उसके विरुद्ध ₹ 25 लाख के निष्पादन गारंटी को जब्त करने/नकदीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- जैसा कि केनरा बैंक कम्पनी का प्रधान बैंक है, अतः यह कम्पनी का दायित्व था कि वह स्वयं केनरा बैंक से इस सावधि ऋण की व्यवस्था करता, जैसा कि कम्पनी द्वारा पहले कई बार किया जा चुका है। अतः, इस सावधि ऋण की व्यवस्था करने में सलाहकार की कोई विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, अभिलेखों में इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं पाया गया जो यह दर्शाता है कि कम्पनी की तरफ से सलाहकार द्वारा इस सावधि ऋण को सुनिश्चित करवाने के लिए किसी प्रकार की योगदान किया गया/प्रयास किये गये या सहयोग प्रदान किया गया। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा किये गये इस ₹ 27.15 लाख के भुगतान की उपादेयता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित/प्रमाणित नहीं की जा सकी।

[19] ऋण पर प्रभार्य ब्याज की दरः पी0एफ0सी0 – 12.25 प्रतिशत हुडको – 12.50 प्रतिशत एवं सी0बी0आई0– 12.25 प्रतिशत

अग्रेतर, हमने पाया कि कम्पनी ने हुडको एवं सी0बी0आई0 से क्रमशः ₹ 850 करोड़ और ₹ 200 करोड़ के ऋण की व्यवस्था अगस्त 2013 एवं जून 2013 में सलाहकार के बिना किसी सहयोग के की थी।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि सलाहकार के प्रयासों से विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से छूट मिली और केनरा बैंक ने 10.7 प्रतिशत के सबसे सस्ते ब्याज दर पर कम्पनी को ₹ 300 करोड़ की ऋण स्वीकृत, दस्तावेजीकृत एवं वितरित किया। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि केनरा बैंक द्वारा यह ऋण 11.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया है जो न्यूनतम अनिवार्य ब्याज दर 11.25 प्रतिशत से कम नहीं है। अग्रेतर, कम्पनी अपने जवाब के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में विफल रहा है जिससे कि सलाहकार द्वारा, इस सावधि ऋण की व्यवस्था करवाने में, यदि कोई प्रयास किया गया है, तो उसकी पुष्टि हो सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.9 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा अपने कर दायित्वों की उचित गणना के लिए एक योग्य प्रणाली के विकास में विफलता के कारण ₹ 35.87 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक करदाता जिसका कर दायित्व ₹ 10000 या अधिक होगा वह अधिनियम में बताये गये तरीके एवं दर पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रिम कर के 90 प्रतिशत जमा करने में विफलता एवं निर्धारित स्लैब से कम कर जमा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 234 ब एवं 234 स के अनुसार अलग अलग एक प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह और उसके भाग के लिए ब्याज भुगतान का उत्तरदायी होगा। अतः, कम्पनी को कर योग्य आय उचित आकलन करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिनियम की आवश्यकतानुसार अग्रिम कर की गणना कर उसे समय से जमा कर ब्याज भुगतान से बचा जा सके।

हमने पाया (दिसम्बर 2015) कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आयकर प्राधिकारियों को अग्रिम कर भुगतान करने में विफल रही। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी के आय पर स्रोत आयकर कटौती ₹ 13.12 करोड़ थी जो समय से आयकर प्राधिकारियों को जमा कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी का कुल कर दायित्व ₹ 16.36 करोड़ था। कम्पनी को, अधिनियम की धारा 234 ब एवं 234 स के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए, ₹ 35.87 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) पुस्तकीय लाभ पर देय है, जिसकी गणना, कम्पनी के लाभ एवं हानि के अंतिमीकरण से पूर्व, अत्यंत कठिन एवं आकलन के परे था। यद्यपि, कम्पनी ने भविष्य में इस प्रकार के कर दायित्व से बचने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पुस्तकीय लाभ का काफी हद तक सही आकलन, एक बार जब कम्पनी को व्यावसायिक आदेश मिलने लगते हैं तो उसके आधार पर आय के प्रवाह से, कर सकती है। अग्रेतर, अधिनियम भी एक करदाता की स्वनिर्धारित आय में 10 प्रतिशत तक के

विचलन की ही अनुमति देता है। अतः, कम्पनी, अपने आय की गणना के लिए एक उचित प्रणाली के विकास में विफल रही थी जैसा उनके जवाब से प्रमाणित होता है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अपने कर दायित्वों की उचित गणना के लिए एक योग्य प्रणाली के विकास में विफलता के कारण ₹ 35.87 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.10 वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता

कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही और आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.65 करोड़ का भुगतान किया।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) मद्य (देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब) की आपूर्ति विभिन्न जिला मुख्यालयों में अवस्थित अपने डीपो से करती है। डीपो दो प्रकार के हैं, कम्पोजिट डीपो एवं गैर कम्पोजिट डीपो। कम्पोजिट डीपो, कम्पनी के अधीन डीपो हैं जहाँ से आपूर्ति की जाती है। गैर कम्पोजिट डीपो आपूर्तिकर्ताओं के ही स्वामित्ववाले डीपो हैं जहाँ से सीधे मद्य की आपूर्ति की जाती है। कम्पोजिट डीपो पर आपूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं को अपने डीपो से कम्पोजिट डीपो पर मद्य को लाने में परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय करने पड़ते हैं जबकि गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को कोई ऐसा परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। मद्य की बिक्री के सभी मूल्य निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार (विभाग) द्वारा निर्धारित एवं पुनर्रीक्षित किये जाते हैं।

दो प्रकार के डीपो में परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय की राशि की भिन्नता को समाप्त करने के लिए, विभाग ने अपने जुलाई 2009 के आदेश के द्वारा गैर कम्पोजिट डीपो द्वारा बेची जाने वाली देशी शराब के मूल्य को जुलाई 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए 400 मिली लीटर (मि0ली0) एवं 200 मि0ली0 के सैशे के मूल्य क्रमशः ₹ 0.17 एवं ₹ 0.09 से घटा दिया था। गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को उस अवधि मे तदनुसार भुगतान किया जाता था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा अप्रैल 2013 के प्रभाव से देशी शराब के मूल्य को पुनरीक्षित करते समय (मार्च 2013), गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के संबंध में कटौती का प्रावधान नहीं किया था। जैसा कि ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को, जो गैर कम्पोजिट डीपो से आपूर्ति करते थे, उन्हें अपने डीपो से कम्पनी तक मद्य को लाने में कोई परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय नहीं करना पड़ता है, कथित विभागीय आदेश में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के मद में कटौती का प्रावधान नहीं करने से कम्पनी के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं इसके लिए अतिरिक्त परिवहन लागत को कम्पनी द्वारा अलग नहीं किया जा सका तथा कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि यह कम्पनी की जिम्मेवारी थी कि वह मामले को विभाग के साथ उठाकर अपने वित्तीय हितों की रक्षा करता। कम्पनी की इसमें विफलता के कारण ₹ 1.65 करोड[20] का परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के मद में भुगतान ऐसे तीन[21] आपूर्तिकर्ताओं को, जिनके पास गैर कम्पोजिट डीपो थे, करना पड़ा जो कम्पनी द्वारा जुलाई 2009 के आदेश को लागू करने पर नहीं किया जाना था।

कम्पनी ने बताया (मई 2016) कि देशी शराब के मूल्य निर्धारण का कार्य विभाग के स्तर पर किया जाना है और कम्पनी द्वारा डीपो स्तर पर निर्धारित दर पर थोक व्यवसाय किया जाता है। परिवहन के मद में भुगतान के संबंध में बाद के विभागीय आदेशों में कोई उल्लेख नहीं था अतः परिवहन के मद में आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अपने वित्तीय हितों को देखते हुए विभाग से परिवहन व्यय को हटाने के लिए कम्पनी को पहल करनी चाहिए थी जैसा कि कथित आदेश के पूर्व जुलाई 2009 के आदेश में था। ऐसा नहीं करने से कम्पनी के आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.65 करोड़ की देयता स्वीकार करनी पड़ी और यह अपनी वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.11 वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता

कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.19 करोड़ की कार्यकारी पूँजी अवरुद्ध रही।

वित्तीय औचित्य के मानक, अन्य बातों के अतिरिक्त, निर्देशित करते है कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक धन से व्यय करते समय उसी सूझबूझ से काम करना चाहिए, जो वह अपने धन से व्यय करने वक्त सामान्यतः करता है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) बिहार सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार बिहार में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं छपाई का कार्य करती है। कम्पनी ने अपने कर निर्धारण वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) क्रमशः 30 सितम्बर 2009 एवं 14 अक्टूबर 2010 को दाखिल की।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (सितम्बर 2014 एवं अक्टूबर 2015) कि :

- कम्पनी द्वारा आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल (आई0टी0ए0टी0) के आदेश (अक्टूबर 2009) के विरुद्ध दायर अपील के जवाब में, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 स) (iii अब) के तहत एक शैक्षणिक संस्थान माना गया, जो आयकर भुगतान से विमुक्ति के योग्य था।

[20] रूढिवादी आधार पर सरकार के 2009 के आदेश में विनिर्दिष्ट आधार पर मूल्य घटाकर अतिरिक्त भुगतान की गणना की गई है।
[21] जहानाबाद, नवादा और सिवान।

- यद्यपि, आयकर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए, कम्पनी की आय गलत रूप से ₹ 7.26 करोड़ निर्धारित कर दी गयी और कई समयोजनों के पश्चात, कम्पनी का कर दायित्व ₹ 2.47 करोड़ गणनित किया गया जिसके विरुद्ध कम्पनी ने अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस) के रूप में ₹ 4.19 करोड़ जमा कर दिये थे। आयकर विवरणी कम्पनी द्वारा दाखिल की गई थी (अक्टूबर 2010), तथा वह ₹ 1.72[22] करोड़ के वापसी की अधिकारी थी। यह वापसी कम्पनी के लिए अभी भी प्राप्य बनी हुई थी (जुलाई 2016)।

हमने आगे पाया कि कम्पनी अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत गलत डिमांड नोटिस निर्गत होने (जनवरी 2013) के बाद निर्धारित 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त ₹ 2.47 करोड़, जो आयकर विभाग के पास अवरुद्ध है, के विरुद्ध अपील करने में असफल रहा। यद्यपि, कम्पनी ने, लेखापरीक्षा में उद्घाटित होने पर 34 माह के विलम्ब से 19 नवम्बर 2015 को एक अपील दायर किया।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि जैसा कि आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पनी की आय शून्य की जगह गलती से ₹ 7.26 करोड़ निर्धारित की गई थी, आयकर प्राधिकारी ऐसे किसी भी आदेश को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार सकते हैं, बशर्ते सुधार हेतु आवेदन चार वर्षों की अवधि के भीतर दिया जाये। तदनुसार, कम्पनी ने कर निर्धारण अधिकारी के पास 14 नवम्बर 2015 को आवेदन दिया, जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत कम्पनी को 30 दिनों के अन्दर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए था, जिससे वापसी जल्दी मिल पाती। तथापि, कम्पनी द्वारा अपील भी लेखापरीक्षा द्वारा मामले को सामने लाने के पश्चात ही किया गया।

अतः, कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ की कार्यकारी पूँजी फरवरी 2013 से अबतक अवरुद्ध रही।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.12 संवेदक को अनुचित लाभ

कम्पनी अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ के क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने मेसर्स सद्भाव जीकेसी संयुक्त उपक्रम (संवेदक) के साथ मोहम्मदपुर–राजापट्टी–मशरख–खैरा–छपरा मार्ग (राज्य उच्च मार्ग 90) (कार्य) के निर्माण के लिए ₹ 201.82 करोड़ के मूल्य पर अनुबन्ध किया (सितम्बर 2011)। कार्य तीन भागों में बंटा हुआ था, खंड 1, 2 एवं 3, जिनकी निर्धारित समाप्ति की तिथि, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि (अक्टूबर 2011) से क्रमशः 800

[22] वापसी की राशि = कुल अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0 (₹ 4.19 करोड़) – गलत कर दायित्व ₹ 2.47 करोड़ = ₹ 1.72 करोड़

दिन, 850 दिन और 912 दिन थे। वास्तव में, सम्पूर्ण कार्य समाप्ति की तिथि अप्रैल 2014 थी, जबकि खंड 1, खंड 2 एवं खंड 3 के कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः 19 दिसम्बर 2013, 7 फरवरी 2014 एवं 10 अप्रैल 2014 थी। अग्रेतर, अनुबन्ध का उपवाक्य 8.7, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करता है कि विलम्ब होने की दशा में क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में अंतिम संविदा मूल्य के बीसवें भाग की कटौती प्रति दिन की दर से की जाएगी, जो अधिकतम उसके 10 प्रतिशत तक हो सकती है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2015) से पता चला कि कम्पनी खण्ड 1 के कार्य के तीव्र क्रियान्वयन में विफल रहा क्योंकि खण्ड 1 के निर्धारित समाप्ति की तिथि (दिसम्बर 2013) तक सिर्फ 48.24 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया था।

कार्य के धीमे क्रियान्वयन का मुख्य कारण संवेदक के द्वारा अपने संसाधनों यथा सामग्री, उपकरणों, मानवबल, इत्यादि को कार्यस्थल पर लाने और कार्य में लगााने में विफलता है। संवेदक द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन किया गया (नवम्बर 2013) जो कम्पनी द्वारा 20 मार्च 2014 को इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि सम्पूर्ण कार्य 30 अप्रैल 2014 तक समाप्त कर दिया जाएगा। यद्यपि, कम्पनी कार्य करवाने में असफल रही और संवेदक द्वारा एकतरफा रूप से 09 अप्रैल 2014 से कार्य छोड़ दिया गया और उसके पश्चात कम्पनी द्वारा संविदा को 23 अप्रैल 2014 को निरस्त कर दिया गया।

हमने आगे पाया कि :

- कम्पनी की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हाजीपुर अनुबन्ध के उपवाक्य 8.7 के प्रावधान के अनुसार कार्य के धीमे निष्पादन के लिए संवेदक के विपत्र से (जनवरी 2014) ₹ 1.66 करोड़ के क्षतिपूर्ति दण्ड को काटने में विफल रहा।
- कम्पनी द्वारा संवेदक को 20 मार्च 2014 को अप्रैल 2014 तक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय विस्तार, यह तथ्य देखते हुए कि एक माह 10 दिनों में खण्ड 1 के 51.76 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना था अयथार्थपूर्ण एवं अनावश्यक था। कम्पनी द्वारा कथित समय विस्तार यह जानते हुए दिया गया कि संवेदक खण्ड 1 का कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा करने में विफल रहा और कम्पनी को संवेदक द्वारा जनवरी 2014 से मार्च 2014 के मध्य धीमे कार्य निष्पादन की भी जानकारी थी।

इस प्रकार, कम्पनी न सिर्फ वित्तीय हितों की रक्षा में बल्कि संविदा के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। इसके कारण संवेदक को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि संवेदक का समय विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन था, अतः जनवरी 2014 के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति दण्ड नहीं काटा गया और अंततः मार्च 2014 में संवेदक को समय विस्तार प्रदान कर दिया गया था। अग्रेतर, कम्पनी ने यह भी कहा कि संवेदक को खण्ड–। के लिए समय विस्तार मुख्यतः इसलिए दिया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा पर्यावरण एवं वन के संबंध में छूट प्राप्त करने में विलम्ब हुआ था।

जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था और अनुबन्ध के उपवाक्य 15.1 के तहत संवेदक को निर्गत नोटिस (अप्रैल 2014) के विरुद्ध था जो विशेष रूप से बताता है कि कार्य के खण्ड–। के संबंध में पर्यावरण संबंधी विमुक्ति संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ पूरा करने के पूर्व दे दी गई थी और 40 वें किमी से 58 वें किमी तक के लिए वन विमुक्ति संवेदक को जुलाई 2013 में हीं प्रदान कर दी गई थी एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में

अन्य सभी बाधाएँ दूर कर दी गईं थीं। अतः कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती कर लेनी चाहिए थी।

अतः, कम्पनी संवेदक के विपत्र से अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती करने में विफल रहा। साथ ही साथ, संवेदक को अयथार्थवादी एवं अनापेक्षित समय विस्तार देकर ₹ 1.66 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

(धर्मेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांकः 02 मार्च 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 03 मार्च 2017